

कार्यालय – राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तर प्रदेश

सी-1, विक्रान्त खण्ड-1 (निकट शहीद पथ), गोमतीनगर, लखनऊ

पत्रांक 10275/एस.सी.डी.आर.सी./यू.पी./अभि.-1/2017

दिनांक : 06 फरवरी, 2017

आदेश

दिनांक 13.02.2017 से बनायी जाने वाले कॉज़-लिस्ट में, वर्ष 2012 में योजित अपील व पुनरीक्षण याचिका पीठ संख्या 2 के समक्ष, वर्ष 2013 में योजित अपील व पुनरीक्षण याचिका पीठ संख्या 3 के समक्ष तथा वर्ष 2014 में योजित अपील व पुनरीक्षण याचिका पीठ संख्या 4 के समक्ष सूचीबद्ध होंगे।

यह व्यवस्था अगले आदेश अथवा आयोग में नव सदस्य की नियुक्ति, जो भी पहले हो, तक प्रभावी रहेगी।


(न्यायमूर्ति अख्तर हुसैन खान)

अध्यक्ष

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. समस्त मा. सदस्यण, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ.प्र., लखनऊ।
2. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, निबन्धन/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, राज्य आयोग।
3. वैयक्तिक सहायक ग्रेड-1, मा. न्यायमूर्ति अध्यक्ष, राज्य आयोग।
4. प्रशासनिक अधिकारी (अभिलेखागार), राज्य आयोग।
5. प्रशासनिक अधिकारी (अधिष्ठान), राज्य आयोग (आदेश को वेब-साइट पर अपलोड कराने के आशय से)।
6. 'लिस्टिंग' अनुभाग, राज्य आयोग।
7. वरिष्ठ सहायक, समस्त न्याय कक्ष, राज्य आयोग।
8. अध्यक्ष, एल्डर कमेटी, ऑल यू.पी. कन्ज्यूमर प्रोटेक्शन बार एसोसिएशन।
9. अध्यक्ष, प्रोग्रेसिव कन्ज्यूमर बार एसोसिएशन।
10. अध्यक्ष, स्टेट कन्ज्यूमर कमीशन बार एसोसिएशन, लखनऊ।
11. नोटिस बोर्ड।


(पंकज कुमार सिंह)

निबन्धक